न्यायालय: अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,
(न्यायाधीश मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण) फलोदी, जिला फलोदी
पीठासीन अधिकारी: जयपाल जाणी (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
M.A.C.T. ORIGINAL CASE NO. : 62/2018
CIS No. - 62/2018 CNR No. - RJPH01-000697-2018

प्रार्थीगण :–

1. भगवती पुत्री स्व. रामचन्द्र,
2. मनीष पुत्र स्व. रामचन्द्र,
3. भीकमचंद पुत्र मगनीराम, (मृत्यु हो जाने से नाम Delete)
4. श्रीमती पेम्पो देवी पत्नी भीखमचंद,
   निवासी बाप, जिला फलोदी (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. स्वर्णसिंह पुत्र प्रेमसिंह, निवासी ग्राम सारगसर, तहसील सुजानगढ, जिला चुरू (राज.)(चालक वाहन ट्रक नम्बर RJ-07 GA-1963)
2. बनवारी पुत्र भालूराम, जाति विश्नोई, निवासी गली नम्बर–17, रामपुरा बस्ती, लालगढ़, जिला बीकानेर (राज.) हाल निवासी सिंह वेयर हऊस के सामने, खण्डाला, ईस्ट, मुम्बई आगरा रोड़, पुराना विलेज, भिवण्डी, थाने (महाराष्ट्र)
   (मालिक वाहन ट्रक नम्बर RJ-07 GA-1963)
3. शकुर खां पुत्र अखे खां, जाति मुसलमान, निवासी भाखर वाली ढाणी, जाटी भाण्डू, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर (राज.)
   (मालिक जीप नम्बर RJ-19 UA-4263)
4. प्रबन्धक, दी न्यू इण्डिया एंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़, शाखा कार्यालय सादुल कॉलोनी, तुलसी सर्कल के पास, बीकानेर (राज.) (बीमा कम्पनी वाहन ट्रक नम्बर RJ-07 GA-1963)

5. प्रबन्धक, दी न्यू इण्डिया एंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़, शाखा कार्यालय अभय चैम्बर्स, जालोरी गेट, जोधपुर (राज.) (बीमा कम्पनी वाहन जीप नम्बर RJ-19 UA-4263)

क्षतिपूर्ति याचिका अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम

प्रतिनिधित्वः–

1. श्री राधेश्याम चाण्डा अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. अप्रार्थी संख्या–1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3. श्री समंदर सिंह राठौड़ अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–4 व 5

-: अधिनिर्णय :- **दिनाँकः 10.07.2026**

1. प्रार्थीगण भगवती व अन्य द्वारा अप्रार्थीगण स्वर्णसिंह व अन्य के विरूद्ध रामचन्द्र पुत्र भीखमचंद की दुर्घटना के दौरान हुई मृत्यु के फलस्वरूप यह क्लेम याचिका अंतर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम में दिनाँक 04.12.2018 को इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनाँक 13.08.2010 को शाम करीब 07:00 बजे मृतक रामचन्द्र व उसका भांजा अशोक जीप नम्बर RJ–19 UA–4263 द्वारा फलोदी से बाप के लिये रवाना हुए। गाड़ी रामचन्द्र चला रहा था। शाम करीब 08.30 बजे जोड़ से आगे पुलिया के पास पहुंचे तभी आगे चल रहे ट्रक नम्बर RJ–07 GA–1963 के ड्राइवर ने ट्रक को तेज़ गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए अचानक ब्रेक लगा दिये, जिससे जीप ट्रोले के पीछे टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार अशोक व रामचन्द्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उक्त घटना घटनास्थल के पास खड़े झूमरलाल पुत्र अमरचंद ने देखी। घटना की रिपोर्ट प्रार्थी तरूण पुत्र पुखराज द्वारा पुलिस थाना फलोदी के समक्ष दर्ज करवाई गई , जिस पर मुकदमा संख्या–216/2010 अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. में दर्ज कर बाद

अनुसंधान ट्रक नम्बर RJ-07 GA-1963 के चालक स्वर्णसिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. व 112, 183, 184, 134, 187 मोटरयान अधिनियम में प्रमाणित मानते हुए आरोप–पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी में प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थीगण मृतक रामचन्द्र के कानूनी वारिसान हैं, जिन्होंने याचिका में मृतक की आयु 40 वर्ष होना बताते हुए मृतक द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग के कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर में सरकारी सेवा में कार्यरत होकर प्रतिमाह करीब 17,690/– रूपये कमाना बताया है। इस याचिका में ट्रक नम्बर RJ–07 GA–1963 को प्रश्नगत किया गया है। प्रार्थीगण ने याचिका के माध्यम से मृतक रामचन्द्र की मृत्यु से आय की हानि 43,10,000/– रूपये होना तथा अन्य मदों के तहत भी विभिन्न प्रतिकर राशि दिलाये जाने का निवेदन करते हुए कुल प्रतिकर 01,13,71,400/– रूपये की मांग की है।

4. अप्रार्थी संख्या–1 से 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से दिनाँक 31.03.20219 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5. अप्रार्थी संख्या–4 व 5 की ओर से जवाब याचिका प्रस्तुत कर याचिका के अधिकांश तथ्यों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार करते हुए वर्णित किया गया है कि याचिका में प्रार्थीगण द्वारा कल्पनाओं के आधार पर प्रतिकर राशि अंकित की गई है। वाहन ट्रक नम्बर RJ-07 GA-1963 एवं जीप नम्बर RJ-19 UA-4263 को वैध एवं प्रभावी लाइसेंसधारी चालक द्वारा चलाया जाना साबित किया जाना आवश्यक है अन्यथा बीमा कम्पनी की दुर्घटना मुआवजा राशि अदा करने की जिम्मेदारी नहीं बनती है। नक्शा मौका व हालात मौका इत्यादि से स्पष्ट है कि दुर्घटना में सम्पूर्ण गलती जीप नम्बर RJ-19 UA-4263 के चालक की थी, उसने आगे चल रहे ट्रक के पीछे से टक्कर मारी, जिस कारण जीप नम्बर RJ-19 UA-4263 के चालक की गलती की हद तक बीमा कम्पनी को दुर्घटना मुआवजा अदायगी से मुक्त किया जाए। वक्त दुर्घटना ट्रक

नम्बर RJ-07 GA-1963 परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर चलाये जाने के कारण भी बीमा कम्पनी की दुर्घटना मुआवजा अदा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अन्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक 26.06.2019 को निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये :–

(1) आया दिनाँक 13.08.2010 को शाम 07:00 बजे मृतक रामचन्द्र व अशोक के जीप नम्बर RJ-19 UA-4263 में सवार होकर फलोदी से बाप जाने के दौरान जोड पुलिया के पास अप्रार्थी संख्या–1 ने वाहन ट्रक सख्या RJ-07 GA-1963 का चालक रहते हुए वाहन को तेज़ गति, उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर एकदम ब्रेक लगा दिये, जिससे जीप ट्रोले से टकरा गई एवं मृतक रामचन्द्र व अशोक के शरीर पर गम्भीर चोटें लगने से मौके पर ही उनकी मृत्यु कारित हुई ?

...प्रार्थीगण

(2) आया अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित आपत्तियों के आधार पर क्लेम याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है ?

...अप्रार्थीगण

(3) आया दुर्घटना में रामचन्द्र की मृत्यु कारित होने के कारण प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से कुल 1,13,71,400 /– रूपये की प्रतिकर राशि ब्याज सहित प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

...प्रार्थीगण

(4) अनुतोष ?

7. साक्ष्य प्रार्थीगण में गवाह ए.डब्ल्यू–1 मनीष, ए.डब्ल्यू–2 तरूण एवं ए.डब्ल्यू–3 झूमरलाल के बयान लेखबद्ध करवाये गये व दस्तावेजी साक्ष्य के तहत प्रदर्श–1 से प्रदर्श 33 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

8. अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

9. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय द्वारा विरचित उपरोक्त विवाद्यकों का बिन्दुवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या–1 :–

10. विवाद्यक संख्या–1 के तहत यह विनिश्चित किया जाना है कि "क्या दिनाँक 13.08.2010 को शाम 07:00 बजे मृतक रामचन्द्र व अशोक कुमावत के जीप नम्बर RJ-19 UA-4263 में सवार होकर फलोदी से बाप जाने के दौरान जोड पुलिया के पास अप्रार्थी संख्या–1 ने वाहन ट्रक सख्या RJ-07 GA-1963 का चालक रहते हुए वाहन को तेज़ गति, उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर एकदम ब्रेक लगा दिये, जिससे जीप ट्रोले से टकरा गई एवं मृतक रामचन्द्र व अशोक के शरीर पर गम्भीर चोटें लगने से मौके पर ही उनकी मृत्यु कारित हुई? " इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है।

11. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि दुर्घटना अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा वाहन ट्रक नम्बर RJ–07 GA–1963 को तेज़ गति व लापरवाही से चलाकर अचानक ब्रेक लगा देने से कारित हुई है। ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने के कारण ट्रक के पीछे चल रही जीप ट्रक के पीछे से टकरा गई और दुर्घटना घटित हुई । दुर्घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या –1 स्वर्ण सिंह के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया है। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गयेः–

(1) First Appeal No. 939 of 2023 with cross objection (ST) No. 28149 of 2022 l 12-03-2024 The New India Assurance Co. Ltd. V Smt. Mangal Ravindra Divate And Ors.

(2) 2025(1) RJT (Civil) 335 Kailash Kunwar & Ors. Vs Nawal Singh & Ors.

(3) 2023(2) RJT (Civil) 1486 Reliance General Insurance Company limited Vs Shri Kishan Mehta & Ors.

(4) 2025(1) RJT (Civil) 372 Ganga Devi & Ors Vs National Insurance Company limited & Ors.

12. जबकि अप्रार्थी संख्या–4 व 5 की ओर से अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया है कि वाहन जीप नम्बर RJ-19 UA-4263 का चालक मृतक रामचन्द्र था और उसके द्वारा जीप को लापरवाही से चलाकर ट्रक नम्बर RJ-07 GA-1963 के पीछे से टक्कर मारी, उक्त दुर्घटना में ट्रक चालक की कोई लापरवाही नहीं थी। पत्रावली पर प्रदर्शित नक्शा मौका एवं हालात मौका एवं वाहनों के यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि जीप चालक द्वारा चलते हुए ट्रक के पीछे से टक्कर मारी गई थी। किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध मात्र चालान प्रस्तुत किये जाने से उसकी लापरवाही के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तथाकथित दुर्घटना स्वयं मृतक की गलती एव लापरवाही से घटित हुई है। अन्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गयाः–

(1) Civil Appeal No. 10145 of 2016 Nishan Singh & Ors Vs Oriental Insurance Company Ltd. Through Regional Manager & Ors.

13. सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य प्रार्थीगण में गवाह याची ए.डब्ल्यू–1 मनीष ने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि दिनाँक 13.08.2010 को उसके पिता रामचन्द्र व उसका बुआ का लडका अशोक जीप नम्बर RJ-19 UA-4263 में सवार होकर शाम करीब 7 बजे फलोदी से बाप रवाना हुए। गाडी उसके पिताजी चला रहे थे। करीब 8.30 बजे जोड से आगे पुलिया के पास पंहुचे तो आगे चल रहे ट्रक नम्बर

RJ-07 GA-1963 के ड्राईवर ने अपने ट्रक को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुऐ एकदम ब्रेक लगा दिये, जिससे जीप ट्रक के पीछे टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई जिससे जीप में सवार अशोक व उसके पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ये सारी घटना झूमरलाल पुत्र अमरचंद माली निवासी खींचन ने देखी, जो घटना स्थल पर पास में ही खड़ा था। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट तरूण पुत्र पुखराज प्रजापत निवासी खीचन ने पुलिस थाना फलोदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 216/2010 के रूप में दर्ज करवाई थी। यह दुघर्टना ट्रक ड्राईवर अप्रार्थी से 1 स्वर्णसिंह की गलती व लापरवाही से कारित हुई । पुलिस ने बाद अनुसंधान अप्रार्थी सं 1 को दोषी मानते हुऐ उसके विरूद्ध न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी में आरोप पत्र पेश किया। गवाह ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 आरोप पत्र, प्रदर्श–2 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श–3 चाक एफ.आई.आर., प्रदर्श–4 फर्द सूरतहाल लाश मृतक रामचन्द्र , प्रदर्श–5 फर्द पंचनामा लाश मृतक रामचन्द्र, प्रदर्श–6 फर्द सुपुर्दगीनामा लाश मृतक रामचन्द्र , प्रदर्श–7 पोस्टमार्टम नहीं करवाने बाबत प्रार्थना पत्र, प्रदर्श–8 फर्द नक्शा व हालात मौका, प्रदर्श–9 पुलिस बयान झूमरलाल, प्रदर्श–10 वाहन ट्रक नम्बर RJ-07GA-1963 का जब्ती मीमो, प्रदर्श–11 वाहन जीप नम्बर RJ-19UA-4263 का जब्ती मीमो, प्रदर्श–12 मैकेनिकल मैकेनिकल मुआयना, प्रदर्श–13 नोटिस अन्तर्गत धारा 133 एम.वी.एक्ट, प्रदर्श–14 नोटिस अन्तर्गत धारा 134 एम.वी.एक्ट, प्रदर्श–15 स्वर्णसिंह के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति, प्रदर्श–16 व 17 वाहन नम्बर RJ-07 GA-1963 की वाहन कर रसीद व नेशनल परमिट, प्रदर्श–18 व 19 सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा ट्रक RJ-07 GA- 1963, प्रदर्श–20 सुपुर्दगीनामा वाहन जीप नंबर RJ-19 UA- 4263, प्रदर्श–21 फिटनेश प्रमाण पत्र वाहन नम्बर RJ-07 GA-1963, प्रदर्श–22 कम्पोजिट टैक्स रसीद, प्रदर्श–23 वाहन ट्रक नम्बर RJ-07 GA-1963 का छः राज्यों का नेशनल परमिट, प्रदर्श–24 जमानतनामा वाहन जीप RJ-19 UA-4263, प्रदर्श–25 वाहन ट्रक नम्बर RJ-07 GA-1963 का परमिट, प्रदर्श–26

रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जीप नं. RJ-19 UA-4263, प्रदर्श–27 पी.यू.सी. प्रमाण पत्र ट्रक नम्बर RJ-07 GA-1963, प्रदर्श–28 बीमा प्रमाण पत्र जीप नं. RJ-19 UA-4263, प्रदर्श–29 वाहन ट्रक नम्बर RJ-07 GA-1963 का बीमा प्रमाण पत्र, प्रदर्श–30 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वाहन ट्रक नम्बर RJ-07 GA-1963, प्रदर्श–31 मृतक रामचन्द्र के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति प्रदर्शित करवाये। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–4 व 5 की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि वक्त दुर्घटना वह हाज़िर नहीं था। यह सही है कि नक्शा मौका प्रदर्श–8 उसने सही मानकर स्वीकार किया। उसने घटनास्थल पर जाकर मौका नहीं देखा।

14. गवाह ए.डब्ल्यू–2 तरूण ने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में कथन किया है कि दिनाँक 13.08.2010 को उसके मामा रामचन्द्र व उसका भाई अशोक जीप नम्बर RJ-19 UA-4263 में सवार होकर शाम करीब 7.00 बजे फलोदी से बाप रवाना हुए। गाडी उसके मामा चला रहे थे वे करीब शाम 8.30 बजे के जोड गांव से आगे पुलियां के पास पंहुचे तो आगे चल रहे ट्रक नम्बर RJ-07 GA-1963 के ड्राईवर ने अपने वाहन को तेज व लापरवाही से चलाते हुए एकदम ब्रेक लगा दिये, जिससे जीप ट्रक के पीछे टकरा गई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उक्त टक्कर लगने से जीप में सवार अशोक व मामा रामचन्द्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सारी घटना घटनास्थल के पास खडे खींचन निवासी झूमरलाल पुत्र अमरचंद माली ने देखी थी। घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना फलोदी में दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस थाना फलोदी द्वारा प्रकरण संख्या 216/2010 दर्ज किया गया। प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी के समक्ष पेश किया। उक्त दुर्घटना अप्रार्थी सं –1 की लापरवाही व गलती से कारित हुई है। गवाह ने रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 पुलिस थाना फलोदी में पेश किया जाना, घटना से संबंधित इस अधिकरण द्वारा एम.ए.सी.टी मूल प्रकरण संख्या–02/2014 गुड्डी वगैरह बनाम श्रवण सिंह वगैरह में लोक अदालत की भावना से राजीनामा होने पर दिनाँक 13.02.2017 को पारित पंचाट की

प्रति प्रदर्श–32 होना कथन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–4 व 5 की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि वह वक्त दुर्घटना साथ में नहीं था। यह सही है कि उसके मामा द्वारा चलाई जा रही गाड़ी आगे चलाई जा रही गाड़ी ट्रक के पीछे से टकराई थी। यह सही है कि प्रदर्श–32 में वह दावेदार नहीं था। उसे याद नहीं कि दुर्घटना में जीप व ट्रक का कौनसा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। यह सही है कि घटनास्थल पर जाकर उसने कोई निशानात नहीं देखे थे।

15. गवाह ए.डब्ल्यू–3 झूमरलाल ने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में कथन किया है कि दिनाँक 13.08.2010 को रात करीब 8–8.30 बजे वह दुकान बंद कर मोटरसाईकिल से अपने घर के लिये निकला और एन.एच 15 सरहद जोड पर पंहुचने पर उसे लघुशंका होने पर उसने अपनी मोटर साईकिल को रोड की साईड में लगाकर लघुशंका करके वापस जैसे ही अपनी मोटरसाईकिल की तरफ पंहुचा तो फलोदी की तरफ से तेज गति से एक ट्रेलर जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर RJ-07 GA-1963 थे, आया और अचानक ब्रेक लगाये तो उसके पीछे सामान्य गति व सही दिशा में चल रही एक जीप जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर RJ-19 UA-4263 थे, टकरा गई। उसने जाकर देखा तो जीप में सवार दो आदमी जीप में फंस गये थे। उक्त दोनों व्यक्तियों में एक व्यक्ति ड्राइवर था और दूसरा व्यक्ति अशोक प्रजापत था जिसे वह खीचन गांव का होने के कारण जानता है। उक्त दोनों व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना से संबंधित मुकदमा संख्या 216/2010 पुलिस थाना फलोदी में दौराने अनुसंधान उसके बयान हुए थे जो प्रदर्श–09 है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–4 व 5 की ओर से की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि इस दुर्घटना की रिपोर्ट उसने दर्ज नहीं करवायी थी। दुर्घटनास्थल पर वह आधा घण्टा रूका था। ट्रक के पीछे के टायरों को कोई नुकसान नहीं हुआ था, स्वतः कहा कि ट्रक बीकानेर की ओर जा रहा था तथा ट्रक का दाहिनी साईड का पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। जीप का बायी साईड का आगे का हिस्सा ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। जीप के ड्राईवर

साईड के हिस्से में कम नुकसान हुआ था। जीप के पीछे के हिस्से में कोई क्षति नहीं हुई थी। जीप के पिछले टायरों में उसने कोई क्षति नहीं देखी थी। घटनास्थल का नक्शा मौका बना उस दिन वह पुलिस वालों के साथ में था। पुलिस वालो ने नक्शा मौका मौके के हिसाब से बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श 08 पर ए से बी भाग में उसके हस्ताक्षर है। यह सही है कि नक्शा मौका के भाग सी से डी में उसके दिखाये जाने से ही अंकन है। यह सही है कि प्रदर्श 08 में ट्रक के पीछे ब्रेक लगाने के कोई निशान अंकित नहीं है। यह सही है कि नक्शा मौका पुलिस ने सही बनाया है।

16. उपरोक्त साक्ष्य एवं पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की ओर से याचिका एवं प्रस्तुत गवाहान द्वारा सशपथ बयानों में दुर्घटना दिनाँक 13.08.2010 को फलोदी से बाप जाने वाली एन.एच.–15 सड़क पर सरहद जोड़ से आगे पुलिया के पास घटित होना एवं दुर्घटना में आई चोटों के कारण जीप में सवार रामचन्द्र व अशोक की मृत्यु होने का कथन किया गया है। अप्रार्थी संख्या–4 व 5 की ओर से आपत्ति की गई है कि नक्शा मौका हालात मौका, वाहनों के यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट आदि से स्पष्ट है कि दुर्घटना जीप नंबर RJ-19 UA-4263 के चालक की लापरवाही से घटित हुई थी। उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये जाने से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की ओर से परीक्षित गवाहान पी.डब्ल्यू–1 मनीष एवं पी.डब्ल्यू–2 तरूण वक्त घटना मौके पर मौजूद नहीं थे। गवाह पी .डब्ल्यू–3 झूमरलाल ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श–8 में ट्रक के पीछे ब्रेक लगाने के कोई निशान अंकित नहीं है। यह सही है कि नक्शा मौका पुलिस ने सही बनाया था। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–4 व 5 बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Civil Appeal No. 10145 of 2016 Nishan Singh & Ors. Vs Oriental Insurance Company Ltd. Through Regional Manager & Ors. में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी स्थिति में, ट्रक के पीछे चल रही मारुति कार के चालक का

दायित्व था कि वह "Rules of the Road Regulations, 1989" के विनियम 23 के अनुसार सुरक्षित दूरी बनाए रखे। **विनियम 23 के अनुसार** किसी मोटर वाहन का चालक, जो किसी अन्य वाहन के पीछे चल रहा हो, वह उस वाहन से इतनी पर्याप्त दूरी बनाए रखे कि यदि आगे वाला वाहन अचानक धीमा हो जाए या रुक जाए, तो टक्कर से बचा जा सके।"

'पर्याप्त दूरी' शब्द की परिभाषा विनियमों में नहीं दी गई है। सामान्यतः इसका अर्थ ऐसी सुरक्षित दूरी से है, जिसमें कम से कम 2 से 3 सैकंड का अंतर हो, ताकि पीछे चल रहे चालक को प्रतिक्रिया करने का पर्याप्त समय मिल सके और टक्कर टाली जा सके। ट्रक और मारुति कार के बीच केवल 10–15 फीट की दूरी निश्चित रूप से सुरक्षित दूरी नहीं थी। इसलिए इसका उत्तरदायित्व मारुति कार के चालक पर ही आता है।"

17. उक्त सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर प्रदर्शित नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श–8 एवं यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श –12 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जीप ट्रक के पीछे से दाहिनी साइड मे टकराई थी। यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट में वर्णित है कि ट्रक का दाहिनी साइड के पीछे के टायर फूटकर हिस्सा आगे सरका होना पाया गया, इससे यह भी स्पष्ट है कि जीप तेज़ गति से चल रही थी। गवाह पी .डब्ल्यू–3 झूमरलाल ने भी प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन किया है कि ट्रक का दाहिनी साईड का पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। जीप का बायी साईड का आगे का हिस्सा ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। जीप के ड्राईवर साईड के हिस्से में कम नुकसान हुआ था। प्रत्यक्षदर्शी गवाह के कथनों ,नक्शा मौका व हालात मौका एवं यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि जीप ट्रक में पीछे से टकराई थी। प्रार्थीगण की ओर से अभिकथन किया गया है कि ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से दुर्घटना घटित हुई थी, इस सम्बन्ध में नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी –8 का अवलोकन करने से ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाये जाने से सड़क पर ब्रेक के निशान पाया जाना प्रकट नहीं हुआ है। गवाह पी.डब्ल्यू–3 झूमरलाल ने भी पुलिस द्वारा नक्शा मौका सही बनाये जाने का कथन

किया है । मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श–12 के अनुसार ट्रक की लाइटें सही काम कर रही थी। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वक्त दुर्घटना ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक नहीं लगाये गये थे। अप्रार्थी संख्या–4 व 5 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि ट्रक और मारुति कार के बीच केवल 10–15 फीट की दूरी निश्चित रूप से सुरक्षित दूरी नहीं थी, इसलिए इसका उत्तरदायित्व मारुति कार के चालक पर ही आता है। हस्तगत प्रकरण में भी ट्रक व जीप के मध्य सुरक्षित दूरी नहीं होने का तथ्य प्रकट होता है। अतः दुर्घटना में ट्रक चालक की लापरवाही होना प्रकट नहीं होता है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में दुर्घटना की परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण लागू होना नहीं पाये जाते हैं। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे हैं कि दिनाँक 13.08.2010 को शाम 07:00 बजे अप्रार्थी संख्या–1 ने ट्रक सख्या RJ-07 GA-1963 का चालक रहते हुए वाहन को तेज़ गति, उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर एकदम ब्रेक लगाकर दुर्घटना कारित की, जिसके परिणामस्वरूप रामचन्द्र की मृत्यु कारित हुई। लिहाजा विवाद्यक संख्या–1 प्रार्थीगण के विरूद्ध विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–2</u> :–

18. विवाद्यक संख्या–2 के तहत यह विनिश्चित किया जाना है कि "क्या अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित आपत्तियों के आधार पर क्लेम याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है ? " इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थीगण पर है।

19. चूंकि विवाद्यक संख्या–1 प्रार्थीगण के विरूद्ध विनिश्चित किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त विवाद्यक के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया जाना सारहीन है।

<u>विवाद्यक संख्या–3</u> :–

20. विवाद्यक संख्या–3 के तहत यह विनिश्चित किया जाना है कि "क्या दुर्घटना में रामचन्द्र की मृत्यु कारित होने के कारण प्रार्थीगण,

अप्रार्थीगण से कुल 1,13,71,400 /– रूपये की प्रतिकर राशि ब्याज सहित प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? " इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है।

21. चूंकि विवाद्यक संख्या–1 का विनिश्चय प्रार्थीगण के विरूद्ध किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से किसी प्रकार की प्रतिकर राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

विवाद्यक संख्या– 4 अनुतोष :–

22. चूंकि विवाद्यक संख्या–1 प्रार्थीगण के विरूद्ध विनिश्चित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

-: पंचाट :-

23. अतः प्रार्थीगण भगवती व अन्य की ओर से अप्रार्थीगण स्वर्णसिंह व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत क्लेम याचिका अंतर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

(जयपाल जाणी)
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,
(न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण)

24. निर्णय आज दिनाँक 10.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर गया।

(जयपाल जाणी)
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,
(न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण)
फलोदी, जिला फलोदी